अतिआवश्यक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : एफ.2(8)नि.प्र./2011–12/378 दिनांक : 7-12-11

-: परिपत्र :-

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठकों में संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता उपस्थित नहीं होते हैं। जिससे आक्षेप निस्तारण के लक्ष्य अर्जित नहीं हो पाते है तथा संबंधित संस्थाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं एवं प्रथम अनुपालनाओं की समुचित पालना नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक सुधार विभाग के जारी आदेश/आज्ञा का महत्त्व तो कम हो ही जाता है तथा यह इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में भी आता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने उप आवासन आयुक्तों की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय समिति की बैठकों में स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं प्राथमिकता से आक्षेप निस्तारण की कार्यवाही सम्पन्न करावें। ध्यान रहे मार्च 2012 तक 30 प्रतिशत अंकेक्षण आक्षेप निरस्त कराने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा दिया गया है जिसकी शत प्रतिशत उपलब्धी प्राप्त की जानी है। भविष्य में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव – आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त.....रा.आ.मण्डल.....
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .....

वित्तीय सलाहकार